भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1421

07 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय:- शीतागार स्थापित करने की प्रक्रिया

1421. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री मनोज तिवारी:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शीतागार स्थापित करने संबंधी मानदंड और प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार का संपूर्ण देश में कृषि उत्पादों के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपनी उपज के बर्बाद होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो संपूर्ण देश में पर्याप्त मात्रा में भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का भंडारण, शीतागार और गोदाम सुविधाओं के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में भंडारण सुविधा, शीतागार और गोदामों की वर्तमान क्षमता क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों की उपज को बचाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): सरकार स्वयं का शीतागार स्थापित नहीं करती है। तथापि, सरकार विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जिनके तहत पूरे देश में शीतागार की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत भांडागारों की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक मांग/उद्यमी वाहित है जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से ऋण सम्बद्ध पार्श्वान्त राजसहायता के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

एमआईडीएच के तहत, एमआईडीएच के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत इस उद्देश्य के लिए गठित राज्य और केंद्र स्तर की समितियों द्वारा शीतागारों को मंजूरी दी जाती है। एमआईडीएच के तहत शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए, प्रमोटर/उद्यमी संबंधित राज्य बागवानी मिशन को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। शीतागार की स्थापना सहित 500 लाख रुपये की परियोजना लागत तक की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) को अधिकार सौंपे गए हैं। 500 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत और 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाली परियोजनाएं एसएलईसी की सिफारिश पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिकार प्राप्त निगरानी समिति (ईएमसी) द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए शीतागार और गोदामों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता" नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, शीतागार के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए और 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक क्षमता वाले नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35 प्रतिशत की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% ऋण सम्बद्ध पार्श्वान्त राजसहायता उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी

एनएचबी के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना मांग/उद्यमी वाहित है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) के लिए एनएचबी को एक ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आईपीए प्राप्त होने के बाद, आवेदक को बैंक/वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण स्वीकृत कराना आवश्यक है। इसके बाद, एनएचबी परियोजना शुरू करने के लिए मंजूरी पत्र जारी करता है। प्रमोटर की इक्विटी और बैंक सावधि ऋण का उपयोग करके परियोजना के पूरा होने पर, राजसहायता का दावा एनएचबी को प्रस्तुत किया जाना होता है। परियोजना के भौतिक संयुक्त निरीक्षण के बाद, एनएचबी की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा राजसहायता के दावे पर विचार और अनुमोदन किया जाता है। तत्पश्चात, ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान के राजसहायता आरक्षित निधि खाते में एनएचबी राजसहायता जारी की जाती है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत हानियों को कम करने और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए 50% की दर से और विकिरण सुविधा सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये की अधिकतम अनुदान सहायता के अध्यधीन मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75% अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एकीकृत शीत श्रृंखला और संरक्षण अवसंरचना को व्यक्तियों, उद्यमियों के समूहों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), गैर सरकारी संगठनों, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा स्थापित किया जा सकता है। स्टैंडअलोन शीतागार इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। शीत श्रृंखला परियोजना स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को समय-समय पर जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) के लिए आवेदन करना होता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जो देश भर में एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक

उप-योजना है। एएमआई मांग वाहित, ऋण सम्बद्ध पार्श्वान्त राजसहायता योजना है। इस योजना के तहत, भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए लाभार्थियों जैसे व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को मैदानी क्षेत्रों में 25% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्र में 33.33 प्रतिशत की दर से राजसहायता उपलब्ध है।

विशिष्ट क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर और भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए, सरकार देश में साईलोस सहित भांडागारों/गोदामों के निर्माण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:

i. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना: इस योजना के तहत, जिसे 2008 में तैयार किया गया था, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गारंटीशुदा किराए पर लेने के लिए निजी पार्टियों, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भंडारण क्षमता सृजित की जाती है।

ii. केंद्रीय क्षेत्र योजना: यह योजना हिमाचल प्रदेश, झारखंड और केरल के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की गई है। सरकार द्वारा एफसीआई और सीधे राज्य सरकारों को गोदामों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

iii. स्टील साइलो का निर्माण: भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और भंडारित खाद्यान्न के शेल्फ लाइफ में सुधार के लिए पारंपरिक गोदामों के अलावा, स्टील साइलो का निर्माण 2016 से शुरू किया गया है।

इसके अलावा, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेब्कोन्स) द्वारा "ऑल इंडिया कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (एआईसीआईसी-2015)" पर किए गए अध्ययन के अनुसार, 2014 में 32 मिलियन मीट्रिक टन की मौजूदा क्षमता के मुकाबले उस समय आवश्यक शीतागारों की क्षमता 35 मिलियन मीट्रिक टन थी। देश में शीतागारों की वर्तमान क्षमता 37.83 मिलियन मीट्रिक टन और गोदामों की क्षमता 173.65 मिलियन मीट्रिक टन है।

****